मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 21 सितम्बर, 1995 (भाद्र 30, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

श्रीमती ओमकुमारी कुशवाह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 "झ" एवं "म" के क्रमशः खण्ड (4) एवं (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग का प्रथम प्रतिवेदन मार्च 1995 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, राज्यमंत्री, परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एक्ट, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, राज्यमंत्री, परिवहन, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) तथा मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 212 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं:-

(क) क्रमांक एफ-4-1/94/आठ दिनांक 18 अगस्त, 1994,

(ख) क्रमांक एफ 4-2-95-आठ दिनांक 5 जुलाई, 1995,

(ग) क्रमांक एफ 4-1-95-आठ दिनांक 10 जुलाई, 1995, तथा

(घ) क्रमांक एफ-8-1-95-आठ दिनांक 1 जुलाई, 1995,

पटल पर रखेंगे.

(4) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, राज्यमंत्री, ऊर्जा, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सदस्य, भोपाल के केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा नियम विरुद्ध एक करोड़ के ऋण स्वीकृत किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (सहकारिता) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम रूपावई में चिकित्सक की लापरवाही से एक महिला की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री जालम सिंह पटेल, रामलखन शर्मा, सदस्य, दुर्ग जिले के बागतराई की एक महिला के हत्यारे पति को गिरफ्तार न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, भूपेश बघेल, अखण्ड प्रताप सिंह, सदस्य, एक राष्ट्रीय अंग्रेजी पत्रिका में रामायण क्विज के प्रकाशन से हिन्दू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री जालम सिंह पटेल, सभापति, प्राक्कलन समिति का चतुर्थ एवं पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सभापति, लोक लेखा समिति का 36वां, 37वां, 38वां, 39वां, 40वां एवं 41वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री रामकिशोर शुक्ल, सभापति, विशेषाधिकार समिति का अष्टम् एवं नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री बालेन्दु शुक्ल, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री (राजस्व), प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 33 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 34 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश के आदिवासी जिले बस्तर में स्थित बैलाडीला की लौह अयस्क खदान को विदेशी कम्पनी को दिये जाने के संबंध में चर्चा, (क्रमशः).

निर्धारित समय
1 घंटा 30 मि0
(शेष 30 मि0)

(2) प्रदेश में नकली खाद व बीज मिलने एवं समय पर खाद व बीज न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा, (क्रमशः).

8. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 11 सितम्बर, 1995 को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 50 (क्रमांक 3199) एवं परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 51 (क्रमांक 3200) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 30 अगस्त, 1995 को उप मुख्यमंत्री (कृषि) से पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 61 (क्रमांक 3234) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 20 सितम्बर, 1995

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा